95

न्यायालय – माननीय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/रीवा/भू0रा0/ /2018

निगरानी-3189/2018/रीवा/भू.रा

रामप्रकाश पटेल पुत्र स्व0 श्री सूर्यदीन पटेल, आयु – 68 साल, व्यवसाय– कृषक, निवासी ग्राम पाडर, तहसील मऊगंज, जिला रीवा (म0प्र0)

–– आवेदक

बनाम

1. श्रीमती सीमा बंसल पत्नी श्री राजेन्द्र कुमार बंसल, निवासी मोहल्ला समान थाना समान, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)
2. देवेन्द्र कुमार पाण्डेय पुत्र श्रीकृष्ण पाण्डेय, निवासी ग्राम बेला, तहसील गुड, जिला रीवा (म0प्र0) हाल मुकाम पयासी टोला समान, तहसील हुजूर, जिला रीवा (म0प्र0)

–– अनावेदकगण

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 04/अ–12/2017–18 में आदेश दिनांक 05.05.2018 से व्यथित होकर।

माननीय महोदय,

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

न्यायालय, राजस्व मण्डल, म0 प्र0, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

भाग–अ

प्रकरण कमांक निगरानी 3189/2018/रीवा/भूरा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकोंआदि के हस्ताक्षर
25–6–18	आवेदक के अधिवक्ता श्री अवध किशोर सिंह ठाकुर उपस्थित होकर यह निगरानी तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 04/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 5.5.18 के विरूद्व म0 प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है। 2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदिका श्रीमती सीमा बंसल पत्नी राजेन्द्र कुमार बंसल निवासी समान रीवा जिला रीवा द्वारा ग्राम समान की भूमि खसरा कमांक 521/10 रकवा 0.202 एकड़ का सीमांकन हेतु आवेदन पत्र राजस्व निरीक्षक गिर्द के समक्ष प्रस्तुत किया। राजस्व निरीक्षक गिर्द द्वारा पांच पटवारीगणों का दल गठित कर सीमांकन किया गया। सीमांकन की कार्यवाही पूर्णोपरांत आपत्तिकर्ता डा0 हामिद अली द्वारा आपत्ति की गई। आपत्ति अस्वीकार कर आपत्ति का निराकरण किया गया। तत्पश्चात दलगठित द्वारा प्रतिवेदन दिया गया जिसे आधार मानकर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा सीमांकन का आदेश पारित किया गया	

जिससे दुखित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि ग्राम समान तहसील हुजूर जिला रीवा में सिति भूमि सर्वे कमांक 521/9 रकवा 0.202 है0 एवं सव्रे कमांक 521/71 रकवा 0.202 है0 आवेदक के भूमिस्वामी स्वत्व एवं स्वामित्व की है, सर्वे कमांक 521/21/क, कुल रकवा 0.149 है0 वर्तमान में आवेदक के नाम दर्ज है। शेष रकवा आवेदक द्वारा विकय कर दिया गया है। आवेदक अधिवक्ता का यह भी तर्क है कि इस भूमि से लगी हुई सर्वे कमांक 521/10 रकवा 0.202 है0 अनावेदक कमांक 1 के नाम दर्ज हे एवं आवेदक के सर्वे कमांक 521/9 से लगी हुई भूमि सर्वे कमांक 520/75 कुल रकवा 0.393 है0 अनावेदक कमांक 2 के नाम दर्ज है। आवेदक मेड़िया कृषक होते हुये भी आवेदक को कोई सूचना नहीं दी गई है। आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि सीमांकन भूमि के सीमा का निर्धारण करते समय तीन दिशाओं पश्चिम, उत्तर व दक्षिण में नाप किया गया था। नाप में सीमांकन भूमि के पश्चित हिस्से में पूर्व निर्धारित सीमा चिन्ह से सीमांकन किया जाना चाहिये। सीमांकन नियमों के विपरीत सीमांकन किया गया है। अंत में उनके द्वारा अनुरोध किया

गया है कि आवेदक की निगरानी स्वीकार कर तहसीलदार का आलोच्य आदेश दिनांक 5.5.18 निरस्त करने का अनुरोध किया गया है।

4—आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने गये। प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया। अध्ययन से स्पष्ट होता है कि आम सूचना लेख किया गया है कि राम प्रकाश पटेल को मोबाइल से दिनांक 31.1.18 को सूचना दी गई और सीमांकन दिनांक 1.2.18 को किये जाने का लेख किया गया है। जबकि आवेदक भोपाल में निवास करता है। इससे यह स्पष्ट होता है कि वह सरहददी कास्तकार होते हुये भी उसे नियमानुसार सूचना नहीं दी गई है जबकि निगरानी मेमों के बिन्दु—4 में लेख किया गया है कि वह भोपाल में निवास करता है। म0 प्र0 भू—राजस्व संहिता 1959 की धारा—129 में स्पष्ट है कि सरहददी कास्तकारों को सूचना होने के पश्चात ही सीमांकन की कार्यवाही होनी चाहिये।

''म0प्र0 भू—राजस्व संहिता, 1959 (म0प्र0)— धारा 129 — सीमांकन— विवादित सर्वेक्षण संख्यांक की पूर्णतया माप नहीं की गई—— निकट के सर्वेक्षण संख्यांक की माप नहीं की गई——कोई पैमाना प्रयुक्त नहीं किया गया——एक—भी साक्षी नामित नहीं——पटवारी द्वारा भूलें की गई और स्वीकार की गई——ऐसा सीमांकन स्वीकार नहीं किया जा सकता जिसमें दूसरा पक्ष सूचित भी नहीं किया गया हो।''

1988 आर एन 105 में इस न्यायालय द्वारा भी यही अभिमत व्यक्त किया गया है कि सीमांकन लगी हुई भूमि के भूमिस्वामी को सूचना किए बिना नहीं किया जा सकता। सीमांकित भूमि के सरहदी कास्तकारों/हितबद्ध पक्षकार को विधिवत व्यक्तिशः सीमांकन की पूर्व विहित की गई प्रकिया के अनुसार सूचना दी जानी चाहिए। सूचना पत्र के निर्वहन के लिए अनुसूची –1 केनियम 11 से 14 में विहित प्रकिया के अनुसार सूचना देना सरहददी कास्तकार को जरूरी है। जो राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमानुसार सूचना नहीं दी गई है। इस ओर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा द्वारा ध्यान आकर्षित नहीं किया गया है इसलिये तहसीलदार का आदेश त्रुटिपूर्ण है जो स्थिर रखने योग्य नहीं है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर तहसीलदार तहसील हुजूर जिला रीवा के प्रकरण कमांक 04/अ–12/2017–18 में पारित आदेश दिनांक 05.05.18 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार हुजूर जिला रीवा को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि आवेदक को सूचना एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः सीमांकन की कार्यवाही करें। आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आंशिकरूप से स्वीकार की जाती है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य